


115



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र - ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 2003-2004 निगरानी R-1729-III/03

दिनांक 21 अक्टूबर 19/11/03
जवाहर जिला मजिस्ट्रेट

19/11/03

- 1- कस्तुरीबाई पति स्वर्गीय आंकारलाल जाति माली
 - 2- नन्दीबाई पुत्री आंकारलाल जाति माली
 - 3- लीलाबाई पुत्री आंकारलाल जाति माली
- निवासीगण माननखेड़ा हालमुकाम ग्रामशावया तहसील मन्दासौर जिला मन्दासौर अनावेदकगण

विरुद्ध

- 1- जगदीश आत्मज देवराम जाति माली
 - 2- रामेश्वर पिता देवराम जाति माली
- निवासीगण ग्राम पिपल्या जोधा तहसील - जावरा जिला रतलाम 14090 ।

---अनावेदकगण

पुनरीक्षाण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 पुराजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय - जावरा के आदेश दिनांक 29-10-2003 प्रकरण क्रमांक 27 : 2002-2003 - अपील से असन्तुष्ट एवम दुःखित होकर निम्नकारणों के आधार पर - पुनरीक्षाण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते हैं :-

- 1:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश अज्ञेय निगरानी विधि एवम विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने विधान के विपरीत जाकर अपील स्थगित करने से महान वैधानिक त्रुटि की है ।
- 3:- यह कि सिविल वाद प्रस्तुत होने मात्र से रैवेन्यू कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है ।

3

B

6

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1729-तीन/03

जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	